

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई  
ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण


कार्यालय उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
अनापत्ति प्रमाण पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति रुद्रप्रयाग

उत्तराखण्ड में जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि०मी० ऋषिकेश-  
कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.455 हे० सिविल वन  
भूमि जो कि रतोड़ा ग्राम में स्थित है। भारतीय रेल के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन  
एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।


उक्त प्रकरण के विषय में उपजिलाधिकारी कार्यालय में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में  
प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदिन सिविल वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने  
हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत  
आवेदित सिविल वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा  
कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपखण्ड स्तरीय समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त सिविल वन भूमि में  
किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है।

सर्वसम्मति से उपखण्ड रुद्रप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी०  
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ने ब्रॉड गेज रेल परियोजना निर्माण हेतु 1.455 हे० सिविल वन भूमि  
ग्राम रतोड़ा में भारतीय रेल (परियोजना एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति  
प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी ।





  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति  
तहसील – रुद्रप्रयाग  
जनपद – रुद्रप्रयाग


प्रतिलिपि:— जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।


  
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति  
तहसील – रुद्रप्रयाग  
जनपद – रुद्रप्रयाग

कार्यालय उपजिलाधिकारी रुद्रप्रयाग  
उपखण्ड सतरीय समिति रुद्रप्रयाग

आज दिनांक 26/8/21.....का उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश - कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री जय किशन (IAS)	उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष रुद्रप्रयाग	
2		उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग	
3	संजीव पल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	
4	हृदय सिंह राणा	बी०डी०सी० क्षेत्र रतूड़ा	

  
(संजीव पल)  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
उत्तराखण्ड राज्य

  
हृदय सिंह राणा  
बी०डी०सी० क्षेत्र 35 रतूड़ा  
उत्तराखण्ड राज्य